डिक्री मुकदमा इब्तदाई प्राथमिक

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

1.प्रेमराज पुत्र हीरालाल

2.इन्द्राज पुत्र हीरालाल

3.ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल

4.गुलबाई बेवा हीरालाल

समस्त जाति मीणा निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1.ओमी पुत्र भोला जाति मीणा निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

2.सब रजिस्ट्रारजी तहसील टोडाभीम जिला करौली

3.तहसीलदार जी तहसील टोडाभीम (लैण्ड हॉल्डर) जिला करौली

4.इन्द्रा देवी पत्नि कमलेश जाति मीना निवासी सुजानपुरा

–प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा

मुकदमा नं0 दावा–38 / 11

तारीख रजू – 15.06.2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट वादीगण, श्री सुरेशचंद शर्मा एडवोकेट पक्ष प्रतिवादीगण मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं0 4 बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग प्राथमिक डिकि किया जाकर भूमि खसरा नम्बरान 125 रकवा 0.02 एआर, 131 रकवा 0.07 एआर, 161 रकवा 0.05 एआर, 164 रकवा 0.09 एआर, 249 रकवा 0.13 एआर, 278 रकवा 0.08 एआर, 282 रकवा 0.13 एआर, 291 रकवा 0.18 एआर, 430 रकवा 0.

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

11 एअर, 431 रकवा 0.20 एअर, 481 रकवा 0.10 एअर, 507 रकवा 0.16 एअर, 681 रकवा 0.04 एअर, 682 रकवा 0.07 एअर कुल किता 14 कुल क्षेत्रफल 1.43 हेक्टयर वाके ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम मे वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार मानते हुये मुताबिक हिस्सा जमाबंदी खातेदारी वादीगण व कब्जेनुसार प्राथमिक डिकि किया जाता है तथा तहसीलदार टोडाभीम को 250 रूपये पर बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम बटवारा स्कीम मय ट्रेस के दो प्रतियो मे न्यायालय को भिजवाया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर.....

मुहर ओहदा टोडाभीम (करौली)...................................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दाबा			स्टाम्प अर्जी दाबा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजय सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकि के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 दावा–38/11

तारीख रजू – 15.06.2011

उनवान

1.प्रेमराज पुत्र हीरालाल

2.इन्द्राज पुत्र हीरालाल

3.ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल

4.गुलबाई बेवा हीरालाल

समस्त जाति मीणा निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1.ओमी पुत्र भोला जाति मीणा निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

2.सब रजिस्ट्रारजी तहसील टोडाभीम जिला करौली

3.तहसीलदार जी तहसील टोडाभीम (लैण्ड हॉल्डर) जिला करौली

4.इन्द्रा देवी पत्नि कमलेश जाति मीना निवासी सुजानपुरा

–प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा

उपस्थिति– राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट टोडाभीम – पक्ष वादीगण

उपस्थिति – श्री सुरेशचंद शर्मा एडवोकेट –पक्ष प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक– 22.06.2018

यह पत्रावली दावा राजस्व कैम्प लोक अदालत न्याय आपके द्वार सन् 2018 कैम्प शहराकर मे प्रस्ततु हुई।

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 125 रकवा 0.02 एअर,

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

131 रकबा 0.07 एअर, 161 रकबा 0.05 एअर, 164 रकबा 0.09 एअर, 249 रकबा 0.13 एअर, 278 रकबा 0.08 एअर, 282 रकबा 0.13 एअर, 291 रकबा 0. 18 एअर, 430 रकबा 0.11 एअर, 431 रकबा 0.20 एअर, 481 रकबा 0.10 एअर, 507 रकबा 0.16 एअर, 681 रकबा 0.04 एअर, 682 रकबा 0.07 एअर कुल किता 14 कुल क्षेत्रफल 1.43 हेक्टयर वाके ग्राम सुजानपुरा हल्का पटवारी क्षेत्र शहराकर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे स्थित है जिसमे वादीगण हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 हिस्सेदार व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी ने अपनी अपनी आराजी का बाहमी तौर पर बटवारा कर रखा हैं तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन रिकार्डेड बटवारा नही हुआ है और इसलिये आये दिन डौल मेढ पर विवाद होता रहता है और इसलिये संयुक्त खातेदारी करना संभव नही है। वाका दिनांक 9.06.2011 सुबह आठ नौ बजे का है वादीगण अपने हिस्से की आराजी मे उगी चरी की फसल की साल सभाल करने गये हुये थे कि प्रतिवादी नं0 1 अपने हमराहीयान के साथ आये और वादीगण को अपने हिस्से कब्जे काश्त से जबरदस्ती लट्ठ के बल पर आराजी मे उगी फसल को नष्ट करने लगे वादीगण ने कहा कि भाईयो यह आराजी मेरे हिस्से की है जो कि मेरे बाहमी बटवारे के आधार पर हिस्से मे आयी है जिसको दुरस्त कराने मे हमारे 50,000 रूपये खर्च हुए है आप क्यो इस आराजी पर कब्जा करना चाहते है लेकिन प्रतिवादी ने एक भी बात नही मानी और कहने लगा तूम इस आराजी पर से हट जाओ मैं यह आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करूगा, वादी ने कहा भाई आप हम तहसील चलकर उक्त आराजी का विधिवत बटवारा करवा लेते है उसके बाद तूम अपनी आराजी का बेचान कर लेना लेकिन प्रतिवादी ने एक भी बात नही मानी और अपनी बात पर अडिग रहा और धमकी दी कल इस जमीन से हट जाना यदि प्रतिवादी अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गया तो वादीगण को क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार पूरी नही हो सकेगी इसलिये वाद आवश्यक हुआ है। दौराने दावा वादपत्र मे वर्णित भूमि का प्रतिवादी ओमी ने प्रतिवादी नं0 4 को विकय किया है जो गलत व अवैध है तथा नलएण्डबोईड है तथा बेअसर वादीगण है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिकि किया जाकर भूमि खसरा नम्बरान

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

125, 131, 161, 164, 249, 278, 282, 291, 430, 431, 481, 507, 661, 662 कुल किता 14 कुल रकवा 1.43 हेक्टयर वाके ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम की आराजी का बटवारा किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमायी जाकर फाईनल डिक्रि पारित फरमायी जाकर अलग अलग खातेदारी कायम किया जावे व इस आशय का अमल दरामद समस्त रेवन्यू रिकार्ड एवं कागजात पटवार मे फरमाये जावे। तथा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्रि फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद किया जावे कि वह मद संख्या 1 मे दर्ज आराजी मे वादीगण के हिस्से अन्दर काश्त आराजी मे मजाहमद मदाखलत नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही कर नाही उक्त आराजी को नाकाबिल काश्त बनावे, वादीगण को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे प्रतिवादी संख्या 2–3 उक्त मद संख्या 1 मे दर्ज आराजी से संबधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजात रजिस्टर्ड एवं पंजीकृत नही करे व प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादीगण के हक हकूको पर प्रतिकुल प्रभाव पडे, इस बावत प्रतिवादी पाबंद फरमाया जावे। इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि प्रतिवादी नं0 1 ओमी ने दौराने दावा वादपत्र मे वर्णित भूमि का विकयनामा प्रतिवादी नं0 4 इन्द्रा देवी को किया गया है वह गलत व अवैध है। यह वमुकाबले वादीगण नलएण्डबोईड है तथा बेअसर है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी हुये। प्रतिवादीगण ने ज़बावदावा पेश कर कथन किया कि इस आराजी मे प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा 1/2 की खातेदारी है तथा संयुक्त खातेदार का पाबंद किया जाना कानूनन संभव नही है, मौके पर बाहमी बटवारा हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विवाद नही है तथा काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी के हिस्सा 1/2 का अलग खाता व लगान कायम कर दिया जावे तथा प्रतिवादी नं0 4 की तरफ से जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वह हिस्सा 1/2 का रिकार्ड खातेदार है, वादीगण भी हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार है तथा संयुक्त खातेदार को पाबंद किया जाना संभव नही है, किसी प्रकार का विवाद नही है, दावा खारिज किया जावे। वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दौराने दावा भूमि का विकय प्रतिवादी नं0 4 को किया गया है जो गलत व अवैध है तथा नल एण्ड बोईड है तथा बेअसर वादीगण है। चूकि

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादी नं0 4 उपरोक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। दावा बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। वादीगण का दावा काबिले प्राथमिक डिकि बावत बटवारा किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं0 4 बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग प्राथमिक डिकि किया जाकर भूमि खसरा नम्बरान 125 रकवा 0.02 एआर, 131 रकवा 0.07 एआर, 161 रकवा 0.05 एआर, 164 रकवा 0.09 एआर, 249 रकवा 0.13 एआर, 278 रकवा 0.08 एआर, 282 रकवा 0.13 एआर, 291 रकवा 0.18 एआर, 430 रकवा 0.11 एआर, 431 रकवा 0.20 एआर, 481 रकवा 0. 10 एआर, 507 रकवा 0.16 एआर, 681 रकवा 0.04 एआर, 682 रकवा 0.07 एआर कुल किता 14 कुल क्षेत्रफल 1.43 हेक्टयर वाके ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम मे वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार मानते हुये मुताबिक हिस्सा जमाबंदी खातेदारी वादीगण व कब्जेनुसार प्राथमिक डिकि किया जाता है तथा तहसीलदार टोडाभीम को 250 रूपये पर बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम बटवारा स्कीम मय ट्रेस के दो प्रतियो मे न्यायालय को भिजवाया जावे। प्राथमिक पर्चा डिकि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर टोडाभीम

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम